(129)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

गनेश तनय कुदऊ रैकवार (फौत)

R-1502-I/16

वैध प्रतिनिधि –

1. कामता प्रसाद 2 –कुन्दन लाल

3– लखल लाल, तीनो पुत्र स्व. गनेश तनय कुदऊ रैकवार

4. श्रीमति मुलाबाई विधवा स्व. गनेश तनय कुदऊ रैकवार

सभी निबासी ग्राम तिन्सी तहसील रहली जिला सागर

....................आवेदकगण

वनाम

1. म0 प्र0 राज्य
2. रमेश तनय पुनऊ बसोर

निबासी ग्राम मरपानी, तहसील रहली लिा सागर म0 प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्र0 क0 350/अ–23/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10/01/2008 एवं श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा रा.प्र.क. 1074/अ–23/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 09/04/2013 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के पिता द्वारा ग्राम मरपानी, तहसील रहली जिला सागर में खसरा नंबर 120/2 रकवा 1.307 हैक्टेयर भूमि जरिये वैनामा के दिनांक 04/07/1985 को अनावेदक कमांक 02 रमेश वल्द कुदउ बसोर से कय करके राजस्व अभिलेख में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1502/I/2016 जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **गनेश रैकवार व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-5-16	1– मैंनें प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय, अपर कलेक्टर सागर जिला, द्वारा प्र0क0 350/अ–23/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10/01/2008 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्र0क0 1074/अ–23/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 09/04/2013 से परिवेदित होकर कर की गई है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, उनके द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताये तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन आदेशों का भी अवलोकन किया गया। 2– यह कि प्रकरण का परिशीलन करने पर संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण कमांक एक से तीन के पिता तथा आवेदिका कमांक 04 के पति गनेश पिता कुदउं ढीमर द्वारा ग्राम मारपानी, तहसील रहली, जिला सागर में खसरा नंबर 120/2 रकवा 1.307 हैक्टेयर भूमि, बिक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 04/07/1985 को अनावेदक कमांक 02, रमेश वल्द पुनउ बसोर से क्रय करके राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तहसीलदार रहली द्वारा एक प्रतिवेदन कमांक 302/बी–121/2000–01, दिनांकित 27/12/2000 अपर कलेक्टर सागर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि, मौजा मारपानी, तहसील रहली की शासकीय भूमि खसरा नंबर पुराना 263, नया 120/2 रकवा 1.307 हैक्टेयर का पटटा रा0 प्र0 क0 19/अ–19/1973–74 के द्वारा बर्ष 1973 में रमेश पिता पुनउ बसोर को प्रदान किया गया था। पटटेदार द्वारा उपरोक्त भूमि बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के	

बिक्रय कर दी है। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रकरण पंजीवद्व करके दिनांक 10/01/2008 को आदेश पारित करके वादग्रस्त भूमि अनावेदक के नाम से दर्ज करके कब्जा शासन के पक्ष में बापिस लेने का आदेश पारित कर दिया। जिसके बिरूद्व आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो कि उनके द्वारा उपरोक्त आदेश के माध्यम से इस आधार पर निरस्त कर दी कि, अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर निराकृत किया गया है, जिस कारण से धारा 44(1) के अधीन उपरोक्त अपर कलेक्टर के आदेश की अपील नहीं होगी।

3— यह कि मैने अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया, उपरोक्त आदेश में जो प्रकरण कमांक डाला गया है वह निगरानी के रूप में दर्ज न होकर 350/अ—23/2005—06 दर्ज किया गया है, जो तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर धारा 165/7/ख का शिकायत प्रकरण दर्ज करके आदेश पारित किया गया है। अपर कलेक्टर के आलोच्य आदेश में उनके द्वारा निगरानी या स्वमेव निगरानी का शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, उनके द्वारा सीधा शिकायती प्रकरण मानकर निराकरण किया गया है। संहिता की धारा 44/1 के अनुसार कलेक्टर द्वारा पारित प्रथम आदेश की अपील संभागीय आयुक्त को होगी। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा जो अपील अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/01/2008 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह सही रीति से नियमानुसार प्रस्तुत की गई थी, जिसे उनके द्वारा निरस्त करके कानूनी त्रुटि की गई है, अतः अपर आयुक्त सागर का आदेश निरस्त करने योग्य है।

4— यह कि अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनावेदक कमांक 02 द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर की गई है। उनके द्वार ना तो पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया है, ना ही किसी भी पक्ष के कथन आदि न्यायालय में लेख कराये गये हैं प्रकरण में बिचारण का आभाव है। आवेदकगण की ओर से एक मृत्युप्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, तिंसी दरारिया द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार केता भूमि स्वामी गनेश

प्रसाद की मृत्यु 30/01/2002 को हो चुकी है। जबकि प्रकरण पंजीबद्व 2008 में किया गया है, जिससे स्पष्ट है, कि जब बर्ष 2008 में गनेश के बिरूद्व प्रकरण पंजीबद्व किया गया था, उस समय वह फौत हो चुका था। अधिनस्थ बिचारण न्यायालय द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की, कि गनेश क्यों उपस्थित नहीं हुआ। सीधा सूचनापत्र मात्र जारी करके प्रकिया पूरी कर ली। उसे विधिवत रूप से उपस्थित कराने का प्रयास किया नहीं गया है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के बिपरीत है। मृत ब्यक्ति के बिरूद्व पारित होने से आदेश स्थित रखे जाने योग्य नहीं है।

5— यह कि आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बिकेता रमेश को पटटा 1973 में प्रदान किया गया था, जबकि उसके द्वारा भूमि—स्वामी अधिकार प्राप्त हाने के उपरांत भूमि का बिकय 1985 में 12 साल बाद किया गया है, तभी से आवेदकगण के पिता/केता के नाम पर भूमि दर्ज चली आ रही है, बिकय के 23 साल बाद प्रकरण में कार्यवाही करना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 रानि 08 आधुनकि गृह निर्माण सहकारी समिति वनाम म0प्र0 शासन में इसी प्रकार ब्यवस्था प्रदान की है। इस न्यायालय द्वारा भी कई न्याय दृष्टांतों में यह ब्यवस्था प्रदान की गई है, कि पटटा प्राप्त होने के 10 साल बाद भूमि का बिकय बगैर अनुमति के किया जा सकता है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में भी लागू होते हैं।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण कमांक 350/अ—23/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 10/01/2008 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/04/2013 निरस्त किये जाते हैं, संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वाद भूमि पर आवेदकगण के नाम फौत केता गनेश प्रसाद के स्थान पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दायरा से पृथक होकर संचित अभिलेख हो।

सदस्य